न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12/127/2020, रजि0 न0 2020/00255

अपीलार्थीः—	प्रत्यर्थीः—
श्रीमती मधुबाला पत्नि जितेन्द्र कुमार शर्मा, निवासी ग्राम महाराजपुरा पोस्ट भडकोल तहसील मालाखेडा अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 05.01.2021

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अंधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 28.11.2020 प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचनां अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अलवर से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 29.12.2020 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित होकर अपने आक्षेप की प्रति प्रस्तुत की गई तथा लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अलवर से जवाब प्राप्त नही होने पर प्रस्तुत आक्षेप की प्रति भिजवाई जाकर पुनः स्मरण पत्र जारी कर अपील का जवाब चाहा गया। लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अलवर ने जरिये पत्र क्रमांक 72 दिनांक 05.01.2021 के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसके द्वारा अपीलार्थी को पूर्व में जरिये पत्र क्रमांक 4451 दिनांक 11.11.2020 के द्वारा सूचना उपलब्ध कराई जा चुकि है तथा अपीलार्थी द्वारा जिस रूप में सूचना चाही जा रही है उस रूप में सूचना संधारित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया जिसके आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. लोक सूचना अधिकारी के प्राप्त जवाब के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है
6. निर्णय आज दिनांक 05.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर, अलवर